मांगीलाल बनाम लिखमभारती वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2020
GCMS No. 2020/00227

खन. 258 में अ से ब डोटेट मार्क अनुसार रास्ता स्वीकृत एंव घोषित किये जाने से एवम् प्रकरण हाजा में प्रस्तावित रास्ता घोषित होने कि स्थिति में अनावश्यकरूप से अप्रार्थी के खेत का ज्यादा रकबा खराब होता है।

इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत 259 में कृषि कार्य हेतु वैकल्पिक रास्ता जो कि खसरा नं. 792 / 259 व 259 में से नक्शे में दशार्य डोटेट मार्क ल से ह तथा खन. 258 में अ से ब डोटेट मार्क अनुसार रास्ता स्वीकृत एंव घोषित किये जाने से रिकोर्डेड रास्ता बिना विरोध के चलन में उपलब्ध है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना प्रमाणित नहीं है तथा रास्ता का अभाव होना सिद्ध नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट 1955 स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 259 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम—खेराट तहसील—जायल के खसरा नं. 258 व 257 के बीच की सींव माठ में से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किये जाने के संबंध में प्रार्थी की वैकल्पिक रास्ते का अभाव व रास्ते आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाने से व वैकल्पिक रास्ता राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17 / 2021 में पारित निर्णयानुसार खसरा नं. 792 / 259 में नक्शे में दशार्य डोटेट मार्क ल से ह तथा खन. 258 में अ से ब डोटेट मार्क अनुसार रास्ता स्वीकृत एंव घोषित किये जाने से रिकोर्डेड रास्ता बिना विरोध के उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

28/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner